UPKU010040542026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित–**संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०–UP2018**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 1152/2026**

अभिषेक सिंह उर्फ विशाल सिंह बउम्र 20 वर्ष पुत्र संजय सिंह, साकिन–पचार, थाना–कप्तानगंज, जिला–कुशीनगर।

–––अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। –––विपक्षी

एवं

UPKU010043122026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**1307/2026**

सूरज वर्मा बउम्र 20 वर्ष पुत्र संजय वर्मा, साकिन–पचार, थाना–कप्तानगंज, जिला–कुशीनगर।

––––अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ––––विपक्षी।

मु०अ०सं०– 147/2026
धारा– 109,115(2),191(2),3(5)
बी०एन०एस०
थाना– कप्तानगंज
जिला– कुशीनगर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

1– उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभिषेक सिंह उर्फ विशाल सिंह एवं सूरज वर्मा की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध संख्या, घटना, धारा एवं थाना से सम्बन्धित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2–संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा सायरा खातून का पुत्र जाफर अपने दो दोस्तों के साथ ग्राम–देउरवा में क्रिकेट मैच खेलने गया था, जहाँ पर नो बल देने को लेकर विवाद होने लगा। मामूली विवाद गम्भीर मारपीट में बदल गया। इकबाल अंसारी उसके पुत्र जाफर को मारने–पीटने लगा तो विरोध कर पर अपने अन्य चार दोस्त जिसमें हिमांशु सिंह, शिव कुमार यादव व सूरज वर्मा को फोन कर बुला लिया और जाफर की मोटरसाइकिल की चाबी छीन लिया तथा जाफर वहाँ से से भागा तो सभी लोगों ने घेर कर दौड़ाकर गोलबंद होकर मारने लगे इकबाल अंसारी ने चाकू से प्रहार करके जाफर के सिर, छाती और पीठ पर प्राणघातक हमला करके मरा समझ कर छोड़कर भाग गये। जाफर के दोस्तों ने मथौली के स्थानीय डा० को दिखाया तो उसने मेडिकल कलेज गोरखपुर जाने की सलाह दिया तो जाफर को लेकर गोरखपुर गये जहाँ इलाज चल रहा है।

3– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ विशाल सिंह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना घटित होने का दिनांक व समय नहीं दिया गया है। घटना क्रिकेट खेलने की जगह व स्थान की बतायी जाती है। जहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके बावजूद भी घटना का चश्मदीद गवाह कोई नहीं है। चोटैल जाफर के मेडिकल प्रपत्रों के अवलोकन से धारा–109 बी०एन०एस० का अपराध नहीं बनता है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक दिनांक 10–05–2026 से जेल में निरूद्ध है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की याचना की गई।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने बहस में कहा है कि अभियुक्तगण ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पुत्र जाफर को चाकू से प्रहार करके सिर, छाती और पीठ पर प्राणघातक हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा दुस्साहसिक कार्य किया गया है क्योंकि झगड़े के दौरान अभियुक्तगण ने घायल को दौड़ाकर चाकू से वार किया है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने की याचना की गई।

5–मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त सूरज वर्मा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है तथा प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ विशाल सिंह का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्तगण पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पुत्र जाफर को चाकू से प्रहार करके उसके सिर, छाती और पीठ पर प्राणघातक हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देने का आरोप है।

आघात आख्या में घायल जाफर की डिस्चार्ज समरी रचित हास्पिटल में उसे दिनांक 09.05.2026 को समय 19:12 p.m. पर Multiple scalp and torso–stab injuries with left side pneumohemothorax with concussion head injury के लिए एडमिट किया जाना व दिनांक 20.05.2026 को समय 17:36

p.m. पर डिस्चार्ज किया जाना अंकित है।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा सह अभियुक्त इकबाल अंसारी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू चेड़ा माता मन्दिर–लक्ष्मीपुर मार्ग नहर के किनारे से बरामद किया गया। अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ विशाल को घटना में शामिल होने का बयान दिया है। घायल के सर व कंधे में चोट आयी है जो शरीर का मर्मस्थल है तथा इससे घायल की जान भी जा सकती थी। अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर दुस्साहसिक कृत्य करते हुए घायल को दौड़ाकर व घेरकर चाकू मारा गया है। उक्त कारणों के मद्देनजर अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभिषेक सिंह उर्फ विशाल सिंह एवं सूरज वर्मा द्वारा प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाते हैं।

आदेश की एक प्रमाणित प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1307/2026 सूरज वर्मा वनाम उ०प्र० राज्य में रखी जाय।

दिनांकः 27.06.2026
R.P. Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.06.27 15:16:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court